भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / यू.पी. / 04 / 29 / 2017 / एफ.सी. / 145 दिनॉक: 01-6-18

सेवा में,

नोडल अधिकारी, एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Online Proposal No: FP/UP/TRANS/22022/2016

विषय: पॉवर ग्रिड कार्पो0 आफॅ इण्डिया लि0 झॉसी द्वारा 765 के0 वी0 द्विपक्षीय लिलो सतना–ग्वालियर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग में 0.1742 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 08 वृक्षों के पातन तथा उरई वन प्रभाग में 0.1144 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 0.2886 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या–2995 / 11–सी–FP/UP/TRANS/22022/2016 दिनॉक– 24.04.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर नोडल अधिकारी एव मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या–2393 / 11–सी–FP/UP/TRANS/22022/2016 दिनॉक– 24.05.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 10.01.2018 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी थी। जिसकी अधुरी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–2647 / 11–सी–FP/UP/TRANS/22022/2016, दिनांक– 14.03.2018 द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में पुनः इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 17.04.2018 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार पॉवर ग्रिड कार्पो0 आफॅ इण्डिया लि0 झॉसी द्वारा 765 के0 वी0 द्विपक्षीय लिलो सतना–ग्वालियर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग में 0.1742 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 08 वृक्षों के पातन तथा उरई वन प्रभाग में 0.1144 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 0.2886 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एव उस पर अवस्थित कुल 22 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वृक्षों के दस गुने (22x10=220) अर्थात् 220 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। यह वृक्षारोपण विधिवत् स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा पारेषण लाईन के नीचे प्रस्तावित वन भूमि में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

5. पारेषण लाईन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो।

6. पारेषण लाईन के लिए राइट आफ वे (right of way) की चौड़ाई 46 मीटर तक सीमित रहेगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समुचित स्थानों पर सर्किट अवरोधक (circuit breakers) लगाए जाएगे। साथ ही वन्य प्राणियो को विद्युत स्पर्शघात से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउन्ड क्लीयरेंस (ground clearance) रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

8. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर गक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख मे किया जायगा।

9. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियो एव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

10. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

11. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।

12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

14. प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमाकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी०जी०पी०एस० निर्देशांक, Backward and Forward bearing एव अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमाकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

15. प्रयोक्ता अभिकरण एव राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य मे योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

16. प्रस्ताव मे निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा इस विधिवत् स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

31.5.18

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर०ओ०एच०क्यू०) पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. विशेष सचिव (वन),उत्तर प्रदेश शासन,बापू भवन, लखनऊ
4. प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी एव जालौन, उ० प्र०।
5. मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पो० ऑफ इण्डिया लि०, बाहर दतिया गेट, झासी, उ० प्र०।
6. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश प्रत्रावली

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक (के०)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक– 5/06/11–सी–FP/UP/ Trans/22022/2016, लखनऊ, दिनांकः जून 05 ,2018

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव (वन), उ०प्र० शासन, वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2, लखनऊ को सैद्वान्तिक स्वीकृति की छायाप्रति एवं प्रस्ताव की एक प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विषयगत प्रकरण में विज्ञप्ति निर्गत करने की कृपा करें।

2– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी एवं जालौन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– मुख्य प्रबन्धक, पावर ग्रिड कार्पो० ऑफ इण्डिया लि०, बाहर दतिया गेट, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5/6

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।